

सीमान जो, पटवारी रिपोर्ट  
 नाम- ग्राम दिलवाडा के संतवन जमाबंदी के खाता संख्या २२५ में खातेदार  
 सुरजीत पुत्र अमरचन्द दर्ज है। मुताबिक आधार कार्ड के सुरजीत नावा. पुत्र  
 अमरचन्द धारित है चुका है। अतः सुरजीत पुत्र अमरचन्द को जाबालिक  
 से धारित किया जाना उचित होगा।  
 - सुभाष  
 च. दिलवाडा

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट  
 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के सुरजीत पुत्र अमरचन्द को ~~सुरजीत नावा~~ सुरजीत नावा  
 से ~~सुरजीत पुत्र अमरचन्द~~ की शुद्ध किया जाना उचित है।  
 9.2.25  
 142 दिलवाडा

तहसीलदार की रिपोर्ट  
 प.ड. की रिपोर्ट व भू. अ. नि. की जांच के आधार पर दुरुस्ती  
 की जाने की अभिशाला की जाती है।  
 शिविर प्रभारी  
 तहसीलदार (शु. अ.) नसीराबाद

2025  
 700

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 14/10/25

क्रमांक/ 402

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~दिलवाडा~~ तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् २०७७-७५ के खाता संख्या २२५ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1)	सुरजीत नावा. पुत्र अमरचन्द शेष दरमद	11/13	2.5560	1) सुरजीत पुत्र अमरचन्द शेष दरमद	11-13	2.5560

क्रमांक - 5697-98

दिनांक

1) तहसीलदार नसीराबाद को प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर  
 2) आदेश पत्रावली